

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 30-12-2006

क्रमांक एफ 3-51/2006/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री राम भिलाष पाण्डेय उप वन क्षेत्रपाल को वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 5500-175-9000 में, न्यायालयीन निर्णयों के अधीन पदोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक वन क्षेत्रपाल/ परिक्षेत्र अधिकारी विशेष कर्तव्य के पद पर तत्काल प्रभाव से सीवा वृत्त में पदस्थ किया जाता है।

2/ मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

4/ उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच/ लोकायुक्त/ आर्थिक अपराध अन्वेषण संबंधी प्रकरण वर्तमान में प्रचलित हो तो पदोन्नति आदेश प्रदाय नहीं किया जाये एवं स्थिति की सूचना तत्काल शासन को दी जावे।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

RCS

अवर सचिव

30/12/06

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक एफ 3-51/2006/10-1

भोपाल, दिनांक


30-12-2006

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल, सू०ओ० क्र. 641 दि० 27 9 2005 के संदर्भ में।

2. मा0 वन मंत्रीजी/मा0 राज्य मंत्रीजी, वन विभाग मध्य प्रदेश शासन।
3. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
4. वन संरक्षक, वन वृत्त रीवा मध्य प्रदेश।
5. वन गण्डलाधिकारी सीधी, रीवा वृत्त, मध्य प्रदेश।
6. श्री एस.के. पाण्डेय द्वारा:- अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशा/अराज) मध्य प्रदेश भोपाल।
7. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव 30/12/06
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग